भारत सरकार Government of India
रेल मंत्रालय Ministry of Railways
(रेलवे बोर्ड Railway Board)

सं.हिंदी-2012/राजभाषा-1/19/1 **दिनांक: 16/12/2020**

महाप्रबंधक
सभी क्षेत्रीय रेलें एवं उत्पादन कारखाने.
पूर्वोत्तर सीमा रेल, (निर्माण संगठन).
मेट्रो रेलवे, कोलकाता.
केंद्रीय रेल विद्युतीकरण संगठन, इलाहाबाद.

महानिदेशक,
अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन, लखनऊ.
भारतीय रेल राष्ट्रीय अकादमी, वडोदरा.

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी,
डीजल रेलइंजन आधुनिकीकरण कारखाना, पटियाला

अध्यक्ष,
सभी रेल भर्ती बोर्ड

निदेशक,
इरिसेट, सिकंदराबाद.
इरिऐन, नासिक रोड.
इरिसेन, पुणे.
इरिमि,जमालपुर.
इरटिम, लखनऊ.
ज.रा.रे.सु.ब. अकादमी, लखनऊ.

प्रबंध निदेशक,
रेल मंत्रालय के अधीनस्थ सभी उपक्रम.
रेल मंत्रालय के संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों के प्रमुख

रजिस्ट्रार
रेल दावा अधिकरण प्रधान पीठ, दिल्ली.

विषय : संसदीय राजभाषा समिति की दूसरी उपसमिति द्वारा विभिन रेल कार्यालयों का निरीक्षण।

****

भारतीय रेल के अंतर्गत आनी वाली सभी क्षेत्रीय रेलों, उत्पादन इकाइयों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों इत्यादि के प्रमुख कार्यालयों तथा उनके अधीनस्थ कार्यालयों में हिंदी के प्रयोग-प्रसार का जायजा लेने एवं राजभाषा संबंधी नियमों के अनुपालन हेतु संसदीय राजभाषा समिति गठित की गई है जो एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति है। यह समिति रेलवे के किसी भी कार्यालय का औचक अथवा नियत निरीक्षण करती रहती है। अतः सभी कार्यालयों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा प्रत्येक वर्ष जारी होने वाले वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए हरसंभव प्रयास करें ताकि राजभाषा अधिनियमों/ नियमों का अनुपालन सुनिश्चित हो सके और राजभाषा का कार्य तेज गति से बढ़ सके।

16/12
रा.नि./रेबो(आर)

---2/- जारी

सं.हिंदी-2012/राजभाषा-I/19/1 -2- दि. 16-12-2020

आप सभी अवगत हैं कि राजभाषा नीति के कार्यान्वयन और इस संबंध में समय-समय पर जारी आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करवाने का उत्तरदायित्व प्रशासनिक कार्यालय प्रमुख का है। इसी क्रम में, संसदीय राजभाषा समिति के निरीक्षणों के दौरान अक्सर उठाए जाने वाले मुद्दों के बारे में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है।

रेलवे बोर्ड में कार्य. निदेशक स्थापना (आर.) के रूप में कार्यभार संभालने के पश्चात, मैंने हाल ही में दिल्ली में आयोजित संसदीय राजभाषा समिति द्वारा कई रेल कार्यालयों के निरीक्षणों में रेल मंत्रालय के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया है। निरीक्षण प्रश्नावली भरते समय रेल कार्यालयों द्वारा सामान्यत: छोटी-मोटी भूलें की जाती हैं, जिसके परिणामस्वरूप रेल/कार्यालयों द्वारा अच्छा कार्य करने के बावजूद भी प्रतिकूल टिप्पणियां सुननी पड़ती हैं। अत: प्रश्नावली भरने के दौरान तथा कार्यालय अध्यक्ष द्वारा प्रश्नावली पर हस्ताक्षर करते समय निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान देना आवश्यक है:-

(i) हिंदी में प्रवीणता प्राप्त सभी अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा शतप्रतिशत कार्य हिंदी में किया जाए तथा कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त अधिकारी/कर्मचारी को प्रवीण पाठ्यक्रम का प्रशिक्षण दिलाया जाए, जिससे वे भी शतप्रतिशत कार्य हिंदी में कर सकें।

(ii) राजभाषा विभाग द्वारा हिंदी में मूल पत्राचार के संबंध में 'क' 'ख' एवं 'ग' क्षेत्रों के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने के भरसक प्रयास किए जाएं।

(iii) विज्ञापनों पर नियमानुसार खर्च किया जाए अर्थात 50% राशि हिंदी विज्ञापनों पर तथा शेष 50% अंग्रेजी तथा अन्य भाषाओं पर खर्च की जाए।

(iv) प्रत्येक कार्यालय/विभाग में हिंदी पुस्तकालय की स्थापना की जाए और नियमानुसार पुस्तकों की खरीद की जाए अर्थात् पुस्तकालय के लिए स्वीकृत कुल अनुदान का 50 प्रतिशत हिंदी पुस्तकों पर खर्च किया जाए।

(v) यदि कार्यालय में राजभाषा कार्यान्वयन समिति गठित न हो, तो उसका गठन किया जाए और समिति की बैठक प्रत्येक तिमाही में अवश्य आयोजित की जाए।

(vi) हिंदी में प्रवीणता प्राप्त प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी को कार्यालय प्रमुख के हस्ताक्षर से हिंदी में कार्य करने के लिए व्यक्तिश: आदेश जारी किए जाएं।

(vii) राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए हिंदी के पदों को भरने के लिए समयबद्ध तरीके से कार्रवाई की जाए।

(viii) समय-समय पर हिंदी कार्यशालाएं आयोजित की जाएं और इन कार्यशालाओं में अधिक से अधिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जाए।

(ix) प्रशिक्षण हेतु शेष अधिकारियों/कर्मचारियों को निर्धारित प्रशिक्षण दिलाया जाए।

16/12
का नि./रेलवा (आर)

3/--- जारी

सं.हिंदी-2012/राजभाषा-I/19/1 -3- दि. 16-12-2020

(x) यदि कार्यालय द्वारा अधिसूचित किए जाने की पात्रता प्राप्त कर ली गई हो, तो कार्यालय को अधिसूचित करने की कार्रवाई की जाए।

(xi) यदि कार्यालय नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति का सदस्य नहीं है, तो उसका सदस्य बनने के लिए अपेक्षित कार्रवाई की जाए और इसकी बैठकों में कार्यालय प्रमुख द्वारा अनिवार्यतः भाग लिया जाए।

(xii) सभी अनुभागों में शब्दकोश/ तकनीकी शब्दावलियां उपलब्ध कराई जाएं।

(xiii) सभी रजिस्टरों/सेवा पुस्तिकाओं के शीर्षक हिंदी में लिखे जाएं और उनमें प्रविष्टियां भी हिंदी में की जाएं।

(xiv) हिंदी में शत-प्रतिशत कार्य करने के लिए अधिकाधिक अनुभागों को नामित किया जाए।

आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त मुद्दों का अनुपालन सुनिश्चित करवाने के लिए कार्रवाई की जाए ताकि राजभाषा नीति का अनुपालन किया जा सके।

16/12/2020

(मनोज कुमार राम)

कार्य. निदेशक स्थापना (आर.)